



प्रेस विज्ञप्ति
19.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर जोनल कार्यालय ने पर्यावरण अपराध से संबंधित धन शोधन जांच में 16/7/2024 को शराब कंपनी मेसर्स मालब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और इसके पूर्व निदेशक गौतम मल्होत्रा पुत्र दीप मल्होत्रा से जुड़े परिसरों से संबंधित पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश के 7 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने अपने कारखाने के परिसर में और उसके आसपास मिट्टी और भूजल को प्रदूषित करके जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के लिए मेसर्स मालब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजपुर की अदालत में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दायर आपराधिक शिकायत मामले के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी इकाई ने अपनी औद्योगिक इकाई के परिसर में अवैध रूप से स्थापित बोरवेलों में औद्योगिक अपशिष्टों का निर्वहन किया, जिससे मिट्टी और पानी दूषित हो गया, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम हुआ और आस-पास के क्षेत्रों में मवेशियों की मौत हो गई।

ईडी की जांच से पता चला कि पर्यावरण अपराध के माध्यम से अर्जित धन का उपयोग कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया गया है। आगे की जांच के दौरान उसके मनी ट्रेल की जांच की जाएगी।

तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद हुए। इसके अलावा, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 78.15 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद और जब्त की गई।

आगे की जांच जारी है।